Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में डिस्कॉम का लाईनमैन–प्रथम 9 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *26 अक्टूबर, गुरूवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सावलराम कुम्हार लाईनमैन–प्रथम, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जी.एस.एस. चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से **9 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कृषि कनेक्शन के लिये नई डी.पी.–पोल लगाने तथा 3 फेस कनेक्शन करवाने की एवज में सावलराम कुम्हार लाईनमैन–प्रथम, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जी.एस.एस. चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा 9 **हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के निर्देशन में एसीबी की सवाईमाधोपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम सदस्य **पुलिस निरीक्षक श्री विवेक सोनी** एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुये सावलराम कुम्हार पुत्र श्री लड्डूलाल निवासी गम्भीरा, पुलिस थाना कोतवाली, जिला सवाईमाधोपुर हाल लाईनमैन–प्रथम, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जी.एस.एस. चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से **9 हजार रूपये** रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।